नियम 12 : मामलों को सूचिबद्ध करना

दोपहर 12:00 बजे से पहले फाईल किया गया कोई भी अत्यावश्यक मामला, यदि वह इन नियमों में दिए गए अनुसार सभी प्रकार से पूर्ण है, तो उसे अगले कार्य दिवस को अपील अधिकरण के समक्ष सूचिबद्ध किया जाएगा और अपवादात्मक मामलों में, उसे अपील अधिकरण या अध्यक्ष की विनिर्दिष्ट अनुज्ञा से, अगले दिन सूचिबद्ध करने के लिए दोपहर 12:00 बजे के पश्चात किन्तु अपराहन 3:00 बजे से पहले प्राप्त किया जा सकता है।